रोहिंग्या शरणार्थी समस्या तथा यू एन एच् सी आर(UNHCR)

(द हिन्दू)

चर्चा में क्यों

- भारत ने अक्टूबर 2018 में रोहिंग्या शरणार्थियों के एक समूह को म्यांमार वापस भेज दिया। संयुक्त राष्ट्र
 शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) ने जनवरी में इस संदर्भ में भारत से रिपोर्ट मांगी।
- गौरतलब है कि भारत का यह कदम शरणार्थियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों के साथ ही भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों से भी विरोधाभास रखता है।

वैश्विक रूपरेखा (Global Framework)

- शरणार्थी कानून अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का एक भाग है। शरणार्थियों की बड़े पैमाने पर अंतर-राज्यीय अंतर्वाह (Influx) की समस्या का समाधान करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के पूर्णाधिकार प्राप्त अधिकारियों के एक सम्मेलन (कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लेनिपोटेंशरीज) ने 1951 में, शरणार्थियों से संबंधित एक कन्वेंशन को अपनाया। तत्पश्चात् 1967 में शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन किया गया।
- इस कन्वेंशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में शरणार्थियों को जबरन वापस न भेजने का सिद्धांत (Principle of Non-Refoulment) शामिल है। इस कन्वेंशन का मानदण्ड है कि "कोई भी अनुबंधकर्ता राष्ट्र किसी भी दशा में शरणार्थियों को निष्कासित नहीं करेगा या किसी भी रूप में उन क्षेत्रों से वापस नहीं भेजेगा जहाँ उन शरणार्थियों के जीवन या उनकी स्वतंत्रता के लिए उनके मूलवंश, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह का सदस्य होने या राजनीतिक मत रखने के कारण संकट विद्यमान हो"
- बिहष्करण/निष्कासन पर रोक का यह विचार शरणार्थियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का केन्द्र बिंदु है।
- अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि भारत न तो 1951 के कन्वेंशन का और न ही 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार / हिस्सा है (Not a party) इसिलए यह उपर्युक्त सिद्धांत भारत को बाध्य नहीं करता है कि वह इसका अनुसरण करें। हालांकि शरणार्थियों के जबरन वापसी के निषेध के लिए प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक मानक है जो गैर-पार्टियों को भी कन्वेंशन के लिए बाध्य करता हैं।
- UNHCR, 2007 के, जबरन वापसी न भेजने की बाध्यता के राज्यक्षेत्रातीत आवेदन(Extratemitorial application) सलाह के अनुसार "यह सिद्धांत संपूर्ण राष्ट्र पर लागू होता है चाहे वो 1951 के कन्वेंशन या 1967 के प्रोटोकॉल के पक्षकार हो अथवा नहीं।"

- मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 14 के अनुसार उत्पीड़न से प्रभावित लोग किसी भी अन्य देशों में शरण ले सकते है और सकुशल जीवन व्यापन कर सकते है जो कि एक अधिकार है।
- इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद-51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए राज्य पर एक दायित्व लागू करता है। वहीं अनुच्छेद 51 (c) भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के सम्मान को बढ़ावा देने की बात करता है। इसलिए भारतीय संविधान घरेलू कानून में अंतर्राष्ट्रीय कानून को शामिल करने की कल्पना करता है।

अंतरर्देशीय दायित्व (Domestic obligations)

- भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार नागरिकों को व्यक्तियों से भिन्न करता है। अर्थात् सभी अधिकार नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं लेकिन विदेशी नागरिकों को अन्य अधिकारों के साथ समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 एवं जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 है।
- राष्ट्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत रोहिंग्या शरणार्थियो को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
- BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार 'रोहिंग्या दुनिया के सबसे कम वांछित और सबसे ज्यादा सताए गए लोगों में से हैं , म्यांमार में उन्हें नागरिकता से वंचित किया जाता है, उनको न ही जमीन लेने का अधिकार है और न ही सफर/यात्रा करने का अधिकार है और वो बिना अनुमित के शादी करने का अधिकार भी नहीं रखते।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, "रोहिंग्या मुद्दा, व्यवस्थित और व्यापक जातीय संहार से संबंधित है। इसलिए, विश्व की समकालीन राजनीति में रोहिंग्या एक अद्वितीय भेदभाव का सामना कर रहें हैं।"

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरूणाचल प्रदेश राज्य (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "हमारा संविधान प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून से समान संरक्षण का अधिकार है। इसलिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं हो सकता है। इसलिए राज्य प्रत्येक मनुष्य के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बाध्य है चाहे तो देश का नागरिक हो अथवा नहीं।

भारत में शरणार्थियों की संख्या बढ़ने के बावजूद भी इससे संबंधित समस्या के समाधान के लिए विशिष्ट कानून का अभाव है। Foreigners' Act, 1946 एक वर्ग के रूप में शरणार्थियों द्वारा जूझ रहे समस्याओं का समाधान करने में विफल रहता है। साथ ही यह किसी विदेशी नागरिक को निर्वासित करने के लिए केन्द्र सरकार को निरंकुश शक्ति भी देता है।

- इसके अलावा नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 मुसलमानों एवं यहूदियों को इस दायरे से बाहर रखता है , और बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हुए हिन्दू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख और बौद्ध प्रवासियों को ही नागरिकता प्रदान करता है।
- धर्म के आधार पर इस तरह की सीमा निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की कसौटी पर खरी नहीं उतरती साथ ही पंथनिरपेक्षता, जो हमारे संविधान की नींव/बुनियादी ढाँचा है उसका भी विरोध करती है।

अमेरिकी दार्शनिक रोनाल्ड ऑर्किन का तर्क है कि यदि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का दावा करते हैं, तो हमें इसे अधिक नैतिकता के हिस्से के रूप से समझना चाहिए।

नो माई इंडिया (know my India)

चर्चा में क्यों

- साम्प्रदायिक हिंसा का शिकार हुए 15 से 22 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्यूनल हार्मोनी (एनएफसीएच) की ओर से 'नो माई इंडिया कार्यक्रम' के अंतर्गत बेंगलुरु में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
- कार्यशाला में जम्मू कश्मीर,मणिपुर,असम,छत्तीसगढ़,बिहार और गुजरात राज्यों के युवा अपने आधिकरिक मेंटरों के साथ हिससा लेंगे।
- यह कार्यक्रम आर्ट ऑफ लीर्विंग फॉंउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया है। पांच दिवसीय कार्यशाला के दौरान, युवा गुरूदेव श्री रिवशंकर के साथ संवाद करेंगे।

महत्वपूर्ण बिंदु

- एनएफसीएच की ओर शुरु किया गया नो माई इंडिया कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। इसके जरिए विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के आर्थिक मदद पाने वाले बच्चों के बीच एकजुटता ,सौहार्द और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों के बीच एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना है, जिसमें वह एक दूसरे की सामाजिक रीति रिवाजों और पारिवारिक जीवन शैली के बारे में जान सकें तथा उनमें देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासतों की अच्छी समझा विकसित हो सके।
- कार्यशाला का उद्देश्य इसमें भाग लेने वाले युवाओं को हिंसा के कारण उपजे तनाव से निबटने में मदद करने के साथ ही उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और बुरे अनुभवों से निजात पाने में मदद करना है।
- इस दौरान उन्हें तनाव से मुक्त, शांति का अनुभव कराया जाएगा और साथ ही उनमें विश्व के प्रति एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास भी किया जाएगा।

- कार्यशाला में प्रतिभागियों को विभिन्न मनोरंजन कार्यक्रमों के जिरए परस्पर संपर्क और संवाद की कला भी सिखायी जाएगी। इसमें सशक्त श्वसन क्रिया, सुदर्शन पर विशेष जोर रहेगा।
- ऐसा माना जाता है कि इसके नियमित अभ्यास से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन में काफी कमी आती है। दिमाग स्वस्थ होता है और शांति महसूस होती है।

नेशनल फाउन्डेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी (एनएफसीएच)

- गृहमंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में गठित एक स्वतंत्र निकाय है।
- इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, साम्प्रदायिक और जातीय हिंसा का शिकार हुए बच्चों और युवाओं को आर्थिक मदद प्रदान कर उनका पुनर्वास करने के साथ ही उन्हें बीती घटनाओं के बुरे अनुभवों से मानसिक तौर पर निजात दिलाना है।
- इसके लिए एनएफसीएच समय समय पर स्वतंत्र रूप से और कई बार शिक्षण संस्थाओं के जरिए विभिन्न कार्यक्रमों का आायोजन कर सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करने का काम करता है।